रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2017/श्रावण 11, 1939
No. 671] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST, 2 2017/SRAVANA 11, 1939

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 987(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 5 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 51 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत::—

I (1) इन नियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

II. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2014 में नियम 3 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत::—

"(1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और इसके प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, नामत::—

(क)	मंत्रिमण्डल सचिव	—अध्यक्ष
(ख)	प्रधान मंत्री के अपर प्रधान सचिव	—सदस्य
(ग)	सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग	—सदस्य
(घ)	अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पूर्णकालिक सदस्य के चयन के लिए)	—सदस्य
(ड.)	तीन ख्यातिप्राप्त बाह्य विशेषज्ञ (केन्द्र सरकार द्वारा वित्त, अर्थशास्त्र, विधि, लोक प्रशासन, वित्तीय बाजार के क्षेत्रों तथा इसके द्वारा अनुरक्षित विषयों के विशेषज्ञों के पैनल से नामित किया जाना है)	—सदस्य”

[फा. सं. 11/5/2014–पीआर]

सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में 20 अगस्त, 2014 के सा.का.नि. 597(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2017

G.S.R. 987(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 51, read with sub-section (3) of section 5 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014, namely:—

I. (1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

II. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014, in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) The Chairperson of the Pension Fund Regulatory and Development Authority and every whole-time member thereof shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely:—

(a)	Cabinet Secretary	—Chairman;
(b)	Additional Principal Secretary to the Prime Minister	—Member;
(c)	Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services	—Member;
(d)	Chairperson, Pension Fund Regulatory and Development Authority (for selection of whole-time Member)	—Member:

(e) Three outside experts of repute
(to be nominated by the Central Government from a panel of experts in the fields of Finance, Economics, Law, Public Administration, Financial Markets and related subjects to be maintained by it) —Member".

[F. No. 11/5/2014-PR]

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 597(E), dated 20th August, 2014.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.03 20:04:23 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.